अनुदान संख्या 8 – औषध निर्माण विभाग
GRANT No. 8 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	247,68,00		266,05,00	252,41,17	-13,63,83
पूरक	Supplementary	18,37,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,64,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			6,00	..	-6,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1363.83 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1837.00 लाख के पूरक अनुदान का 74 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹1364.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1363.83 lakhs) constituted 74 percent of the supplementary grants of ₹1837.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 5 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹1364.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3152.00			
पू.	S.	486.00	..	..	..
पु.	R.	-3638.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	20286.00			
पू.	S.	1351.00	23978.00	23977.40	-0.60
पु.	R.	2341.00			

(I) ₹3638.00 लाख का प्रावधान (₹486.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3636.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "औषध निर्माण उद्योग – राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3638.00 lakhs (including supplementary grant of ₹486.00 lakhs) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹3636.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Pharmaceuticals Industries - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषधि और औषध निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" – ₹546.30 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और कुछ गतिविधियों के न होने के कारण हुई।

(A) "National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA)" - saving of ₹546.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-taking up of certain activities.

(खा) "औषध उद्योग का विकास" – ₹1519.30 लाख की बचत (₹1702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के कारण हुई।

(B) "Development of Pharmaceuticals Industry" - saving of ₹1519.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1702.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and closure of Public Sector Undertakings.

(गा) "जन औषधि" – ₹2697.00 लाख की बचत (₹7461.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विविध क्रियाकलापों को न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Jan Aushadhi" - saving of ₹2697.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7461.00 lakhs) was due to non-taking up of various activities.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7103.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषध और औषध निर्माण–राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" के अंतर्गत ₹1837.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. The above savings were partly (₹7103.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1837.00 lakhs under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹6.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹6.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads and was eventually surrendered.